न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिकराय जिला दौसा

पीठासीन अधिकारी : श्री राकेश कुमार मीना (आरएएस)
मुकदमा नं0 : 37 / 2023
प्रकरण दर्ज दिनांक : 09.06.2023
प्रकरण निस्तारण दिनांक : 12.06.2023

उनवानी प्रकरण
काडी वगै0 बनाम राज0 सरकार
प्रार्थना पत्र अ0धा0 128 राज0एल.आर.एक्ट

पत्रावली पेश हुई। पत्रावली के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जेशुदा भूमी खसरा नम्बर 59 वाके ग्राम बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा में स्थित है। उक्त भूमि ख0न0 59 का सीमाज्ञान भू–प्रबंधक टीम अलवर द्वारा द्वारा दिनंक 31.05.2023 को किया जा चुका है। लेकिन प्रार्थीगण की भूमि का सीमाज्ञान होने के बावजूद प्रार्थीगण की उक्त भूमि की सीमाएं सुरक्षित नहीं है इसलिए प्रार्थीगण अपनी उक्त वर्णित खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी करवाना चाहते हैं जिस हेतु प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया किया। उक्त भूमि का सीमाज्ञान दिनांक 31.05.2023 को किया जा चुका है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस का मनन किया गया । पत्रावली में विचाराधीप भूमि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि है जिसका सीमाज्ञान भी किया जा चुका है उक्त भूमि पर पत्थरगढ़ी करवाने हेतु प्रार्थीगण का कानूनी हक अधिकार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः न्यायालय इस विनम्र मत पर है कि प्रार्थीगण द्वारा पेश प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सिकराय को भूमी खसरा नम्बर 59 वाके ग्राम बसेडी तहसील सिकराय जिला दौसा पर पत्थरगढ़ी कायम किए जाने के आदेश प्रदान किए जाते है। तहसीलदार सिकराय उपरोक्तानुसार पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

तहसीलदार सिकराय को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु तहरीर जारी हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2023 सरे इजलास सुनाया गया।

(राकेश कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी सिकराय